न्यायालय सहायक कलक्टर (एस0डी0ओ0) जायल जिला नागौर
बईजलास श्री सुरेश कुमार प्रथम आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या- 297/2017

1. दिनेशकुमार पुत्र रामरतन, जाति जाट,
निवासी नकाना, तहसील जायल, जिला नागौर

.............वादी

बनाम

1. रामरतन पुत्र सांवलराम, जाति जाट,
निवासी नकाना, तहसील जायल, जिला नागौर
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल

.... प्रतिवादीगण

वाद वास्ते घोषणा खातेदारी व विभाजन,
अधीन धारा 88 व 53 राज. टिनेन्सी एक्ट

उपस्थित अधिवक्ता- 1. वादी की ओर से श्री पेमाराम गोदारा, एडवोकेट
2. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री शिवकुमार पाराशर एडवोकेट
3. प्रतिवादी संख्या 2 के ईकतरफा कार्यवाही है।

:: निर्णय ::

दिनांक –28.08.2019

वादी के वाद का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 आपस में पिता पुत्र है प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता है। वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी की पुश्तैनी भूमियां मौजा

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल जिला नागौर

Scanned by CamScanner

नराधना तहसील जायल में खसरा नं. 202 रकबा 14.18 बीघा, खसरा नं. 277 रकबा 6.13 बीघा, खसरा नं. 395 रकबा 10.16 बीघा, खसरा नं. 416 रकबा 7.04 बीघा व खसरा नं. 611 रकबा 8.11 बीघा कुल रकबा 46.02 बीघा आई हुई है। जिसमे वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर बराबर हिस्सा है। लेकिन कर्ता खानदान होने से राजकीय रेकर्ड में अकेले प्रतिवादी संख्या 1 का नाम आ गया है। इसलिए यह दावा वास्ते घोषणा खातेदारी के लिए पेश है। इसके अलावा रामरतन प्रतिवादी के कोई और संतान नही है। अब वर्ष 2065 की आखातीज को पक्षकारान ने घरेलू तौर पर अपनी भूमियों का मौखिक विभाजन कर लिया है जिसके अनुसार वादी दिनेश कुमार के बंट में मौजा नराधना का खेत खसरा नं. 202 रकबा 14.18 बीघा, खसरा नं. 277 रकबा 6.13 बीघा, खसरा नं. 395 रकबा 10.16 बीघा तथा खसरा नं. 416 रकबा 7.04 बीघा बंट मे रखे है। तथा मौजा नराधना तहसील जायल का खेत खसरा नं. 611 रकबा 8.11 बीघा प्रतिवादी संख्या 1 रामरतन के बंट मे रखा है। लेकिन इसके बाद भी इस विभाजन का अमल दरामद राजकीय रेकर्ड में नही हुआ है इसलिए यह दावा वास्ते विभाजन के लिए पेश किया जा रहा है तथा राज्य सरकार ऐसे दावों में आवश्यक पक्षकार होने से तहसीलदार जायल को भी पक्षकार बनाया है।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 रामरतन की और से श्री शिवकुमार पाराशर अधिवक्ता ने वकालत नामा मय ईकबाली जवाब दावा पेश कर वाद से सहमति जताई तथा प्रतिवादी संख्या 2 के बावजूद तामील गैर हाजिर रहने से उनके विरूद्ध ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी में शपथ पत्र वादी दिनेश कुमार का पेश किया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल खतौनी संवत 2068 से 2071 प्रदर्श 1 तथा नकल खतोनी संवत 2039 से 2042 प्रदर्श 2 पेश की गई। तथा साथ ही ग्राम पंचायत डिडिया कलां का प्रमाण पत्र भी पेश कर वकील वादी ने साक्ष्य बंद की।

बहस वकील वादी की ईकतरफा सुनी गई। जिन्होने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद के अनुसार डिक्री करने का निवेदन किया। मैने वादी द्वारा किये गये अभिकथनो तथा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया। इस प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या वादग्रस्त भूमियां पक्षकारो की पुश्तैनी होकर सह खातेदारी की है। तथा क्या वादी इसमें सह खातेदार होकर विभाजन करवाने का हकदार है। तथा क्या पक्षकारों ने घरेलू तौर पर इन खेतों का विभाजन कर लिया है तथा उसी अनुसार डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है। जमाबंदी प्रदर्श 2 को देखने से भूमि पक्षकारो की पुश्तैनी होना साबित है। तथा विभाजन को साबित करने के लिए वादी का शपथ पत्र पर्याप्त है जबकि किसी पक्षकार ने वाद का विरोध नही किया है। अत मेरी राय में वादी अपने को साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है। अत वाद वादी स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

1. कि यह घोषणा की जाती है कि वादग्रस्त भूमि मौजा नराधना तहसील जायल में खसरा नं. 202 रकबा 14.18 बीघा, खसरा नं. 277 रकबा 6.13 बीघा, खसरा नं. 395 रकबा 10.16 बीघा, खसरा नं. 416 रकबा 7.04 बीघा व खसरा

उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) जिला नागौर

Scanned by CamScanner

नं. 611 रकबा 8.11 बीघा कुल रकबा 48.02 बीघा वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी की है।

2. कि इसका विभाजन पक्षकारों के बीच करते हुऐ उपरोक्त भूमि मौजा नराधना के खेत खसरा नं. 202 रकबा 14.18 बीघा, खसरा नं. 277 रकबा 6.13 बीघा, खसरा नं. 395 रकबा 10.16 बीघा तथा खसरा नं. 416 रकबा 7.04 बीघा वादी के बंट के तथा मौजा नराधना तहसील जायल का खेत खसरा नं. 611 रकबा 8.11 बीघा प्रतिवादी संख्या 1 रामरतन के बंट कब्जा कास्त व खातेदारी का घोषित किया जाता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। इसी माफिक डिक्री पर्चा भरा जाकर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

(सुरेश कुमार प्रथम)
पीठासीन अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जायल।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार प्रथम)
पीठासीन अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जायल।

Scanned by CamScanner